रामदेव वगै0 बनाम भैरू लाल वगै0

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2022/104

04.08.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील दिनांक 25.01.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी। प्रस्तुत अपील में रहे अपीलान्टगण जिनमे से अब तक अपीलान्ट कम 03 व 4 की मृत्यु हो चुकी है जिसके सगे भाई वारिस व उत्तराधिकारी अपीलान्ट कम 01 व 2 ही हैं । अपीलान्टगण जो सभी अत्यन्त अनपढ, अंगूठा छाप ग्रामीण परिवेश में पले बडे हुए हैं वे न्यायालयों की कार्यवाहियों से सर्वथा अनभिज्ञ रहे हैं । उनके द्वारा अपने अभिभाषक श्री घनश्याम नागर को अधिकृत किया हुआ था उनके साथ ही अन्य अभिभाषक श्री जगदीश खण्डेलवाल का भी वकालतनामा सहयोग हेतु प्रस्तुत करवा दिया था । उन्होंने अपीलान्ट को आश्वासन दिया था कि उन्हें प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है अभी अपील पेडिंग चल रही है । तत्पश्चात् काफी समय निकल जाने के पश्चात् अपीलान्ट कम 1 व 2 ने दिनांक 11.05.2022 को अपने दोनों अभिभाषकगण से सम्पर्क कर उक्त अपील के सम्बन्ध में जानकारी की तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.01.2016 गत पेशी रही थी । उस दिन दोनों अभिभाषक अन्य मुकदमों में अत्यन्त व्यस्त रहने से वक्त सुनवाई न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके इस कारण उक्त अपील दिनांक 25.01.2016 को अदम पैरवी एंव अदैम हाजरी में निस्तारित कर दी । अपील में रहे रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 5 की अब तक मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान को इस प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया बनाया गया है । अपीलान्टगण गत 15 वर्षों से भी अधिक समय से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपने हक अधिकारों के लिए व न्याय प्राप्त करने हेतु लडते रहे हैं । अपील को वैसे भी कानूनन अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज नहीं किया जाना चाहिए । अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को रेस्टोर फरमाने के आदेश पारित करते हुए अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जावे । अपीलान्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 (4) पेज 1757, डब्ल्यूएलसी 2015 (4) पेज 624, डीएनजे 2016 (4) पेज 1680, आरआरटी 2011 (2) पेज 1040 उद्धरत की । अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण एवं उनके अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 25.01.2016 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की

गई है । अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके अभिभाषकगण ने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने हेतु कहा था, परन्तु अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में अपने अभिभाषकगण का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है । अपीलान्टगण की जिम्मेदारी थी कि वे स्वयं अथवा उनके अभिभाषक न्यायालय हाजा में उपस्थित होते । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.01.2016 के आदेश के विरूद्ध दिनांक 19.05.2022 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो लगभग 06 वर्ष बाद पेश किया है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में भी दिनांक 25.01.2016 से दिनांक 11.01.2022 तक की देरी को कण्डोन करने हेतु निवेदन किया गया है । प्रार्थी ने दिनांक 11.01.2022 के बाद भी प्रार्थी ने दिनांक 19.05.2022 को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को दिनांक 11.01.2022 को जानकारी हो गई थी उसके बाद अवधि बाधित रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और इस विलम्ब का कोई स्पष्ट व संतोषजनक कारण भी दर्शित नहीं किया है । इन्होंने आज तक पंजीयन निरस्तीकरण हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है । अपीलान्टगण ने प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताए हैं । अपीलान्टगण अपने मुकदमे के प्रति लापरवाह रहे हैं । न्यायालय हाजा में पूर्व में अपील लटूर एवं रामदेव के द्वारा पेश की गई थी परन्तु शपथ पत्र केवल रामदेव के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2000 पेज 739, आरबीजे 2019 पेज 20ख 362, आरबीजे 2010 पेज 628, आरआरटी 2022 (एससी) पेज 165 उद्वरत की ।

हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । इस न्यायालय के द्वारा अपील दिनांक 25.01.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में दिनांक 19.05.2022 को लगभग 06 वर्ष से अधिक समय बाद रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी विलम्ब कण्डोन दिनांक 25.01.2016 से दिनांक 11.01.2022 तक मांगा है, उसके बाद भी अवधि बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थना पत्र पेश किये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में भी अपीलान्टगण द्वारा कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताए हैं । अपीलान्टगण ने अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की जानकारी इसलिए नहीं होना बताया है कि क्योंकि उनके अभिभाषक द्वारा प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना कर दिया था परन्तु प्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य, शपथ पत्र आदि पेश नहीं किया है । प्रार्थी स्वयं पक्षकार थे । प्रार्थी के इस तर्क को नहीं माना जा सकता कि उक्त अपील मुख्य रूप से अपीलान्ट कम 3 व 4 कन्या बाई व नन्द कंवरी देखती थी । प्रार्थी इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब के सम्बन्ध में पर्याप्त व संतोषप्रद कारण नहीं बता पाए हैं । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण

में 06 वर्ष से भी अधिक समय बाद रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं । इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वो भी तर्कसंगत नहीं है इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अपील को स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा